राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर

(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)
ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com
टेलीफैक्स नं. 0141–2222403, 2229314

क्रमांक : PSKS अभियान–21/डीएलबी/2021/ 12396 **दिनांक :** 17/08/2021

आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 की तैयारियों की समीक्षा के संबंध में निदेशालय स्तर पर आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं में ज्ञात हुआ है कि राज्य की नगरीय निकायों द्वारा उनके स्तर पर लम्बित योजनाओं के ले–आउट प्लान का अनुमोदन अभी तक नहीं किया गया है। यह ही नहीं जिन योजनाओं के ले–आउट प्लान पूर्व में ही स्वीकृत हो चुके है उनके भूखण्ड़ों के पट्टे जारी किये जाने की कार्यवाही भी अभी तक प्रारम्भ नहीं की गई है। राज्य सरकार द्वारा ऐसी स्थिति को गंभीरता से लिया गया है।

अतः निर्देश दिये जाते है कि राज्य की समस्त नगरीय निकाय अपने स्तर पर लम्बित/विचाराधीन योजनाओं के ले–आउट प्लान अनुमोदन की कार्यवाही 31 अगस्त से पूर्व आवश्यक रूप से सम्पादित कर ले। साथ ही जिन योजनाओं के ले–आउट प्लान पूर्व में अनुमोदित हो चुके है एवं उन योजनाओं में भूखण्ड़ धारियों द्वारा भूखण्ड़ का पट्टा अभी तक नहीं लिया गया है/पट्टा लेने के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया गया है, उन्हें अविलम्ब पट्टा लेने हेतु आवेदन करने के लिए प्रेरित करे। अन्यथा स्थिति में नियमों के तहत नोटिस जारी किया जावें।

उपर्युक्त निदेर्शों की कड़ाई से पालना की जावें एवं पालना रिपोर्ट से विभाग को अवगत करावें।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : PSKS अभियान–21/डीएलबी/2021/ **दिनांक :**
प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. विशेषाधिकारी, डॉ. गुरुदयाल सिंह संधू, सलाहकार, यूडीएच एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
04. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
05. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
06. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
07. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
08. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
09. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
10. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, राजस्थान।
11. समस्त वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक, क्षेत्रीय नगर नियोजन कार्यालय, राजस्थान।
12. संयुक्त निदेशक, आईटी अनुभाग, निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(संजीव कुमार पाण्डेय)
अतिरिक्त निदेशक